मेसर्स युनाईटेड इंडिया इंशोरेंस कंपनी लिमिटेड

बनाम

रामप्रकाश रतुडी

(दीवानी अपील संख्या 2008/550)

21 जनवरी, 2008

(न्यायाधिपति डॉ. अरीजित पसायत तथा न्यायाधिपति सथासिवम)

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 - बीमित वाहन की नुकसानी के मुआवजे का दावा -तथ्य जिन पर राष्ट्रीय आयोग ने अपने निष्कर्षो को आधारित किया- निर्णित - राष्ट्रीय आयोग ने सुसंगत तथ्यों पर विचार किए बिना निस्तारण किया- यहां मामला विधिनुसार नवीन प्रतिफल हेतु प्रेषित किया गया- मोटर वाहन अधिनियम, 1988

हस्तगत अपील बीमा कंपनी द्वारा राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के निर्णय के विरूद्ध की गई, जिसमें यह टिप्पणी है कि प्रकरण में वाहन के स्वामित्व संबंधी मूल तथ्य के साथ-साथ बीमित व्यक्ति का नाम, परिवादी के नाम पर वाहन के अंतरण/पंजीकरण के तथ्य निर्विवादित थे। अपीलार्थी द्वारा यह कथित किया गया कि यह तथ्य विवादित थे तथा राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने उन्हें निष्कर्षित करने में त्रुटि कारित की है।

अपील की अनुमति दी गईः न्यायालय का अभिनिर्धारित किया:

1. राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के निर्णय मे यह पाया गया कि उभय पक्षों के मध्य यह निर्विवादित था कि वाहन बीमाकृत है, वाहन का पंजीयन प्रमाण पत्र बीमा कंपनी के नाम पर है तथा वाहन परिवादी के नाम पर अंतरित किया जा चुका है। वास्तव में स्पष्ट विवाद इस तथ्य के बारे में था। अतः यह स्पष्ट है कि राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग द्वारा पुनरीक्षण याचिका सुसंगत तथ्यों पर विचार किए बिना निस्तारित की गई ऐसी परिस्थितियों में राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग का उक्त आदेश अपास्त किया जाकर विधिनुसार प्रतिफल हेतु पुनः प्रेषित किया गया।(पेरा 7-8)(980-डी, ई, एफ)

जी. गोविन्ददास बनाम न्यू एशोरेंस कं.लिं. ए.आई.आर. 1999 एस.सी. 1398

सिविल अपील क्षेत्राधिकारः सिविल अपील संख्या 550/2008

(अंतिम निर्णय के लिए निर्णय तथा आदेश दिनांकित 21.02.2005 राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, नई दिल्ली पुनरीक्षण याचिका नं. 2005/330)

पी.आर. सिक्का एवं चन्द्रशेखर अश्री, अपीलार्थी की ओर से।

बी.डी. शर्मा एवं दीपशिखा भारती, प्रत्यर्थी की ओर से।

न्यायाधिपति डॉ. अरीजित पसायत

1. अनुमति प्रदान की गई।

2. इस अपील में राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के आदेश को चुनोती दी गई। राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने पुनरीक्षण याचिका में निष्कर्ष तक पहूंचने में त्रुटि कारित की। अतः आलोच्य आदेश खारिज किया गया।

3. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार है- प्रत्यर्थी ने अपीलार्थी के विरूद्ध एंबेसडर टेक्सी संख्या यू.पी. 07/ए.-0234 को कारित नुकसान के लिए 42,000 रूपये के मुआवजे के लिए जिला उपभोक्ता प्रतितोष मंच के समक्ष विवाद उठाया था कि विचाराधीन वाहन श्रीमती रूपा C/o अब्दुल गफार, 31/1, मुस्लिम कॉलोनी, देहरादूरन से खरीदा गया था तथा उसका पंजीकरण परिवहन विभाग, देहरादूरन द्वारा किया गया था एवं अपीलार्थी मेसर्स यूनाईटेड इंडिया इंशोरेंस कंपनी को स्थानांतरण की विधिवत सूचना दी गई थी। बीमा किश्त प्राप्त की गई एवं बीमा कवरेज दिनांक 16.09.1999 से 15.09.2000 तक के लिए स्वीकृत किया गया। सुसंगत दस्तावेज अपीलार्थी के समक्ष पेश किए गए थे एवं स्वामित्व के संबंध में ज्ञान के बावजूद दावा अस्वीकृत कर दिया गया। अपीलार्थी ने आपत्तियां प्रस्तुत की तथा कथित किया कि पॉलिसी " ऑन डेमेज " के संबंध मे थी। वाहन जो कि बीमा की विषयवस्तु था श्रीमती रूपा शर्मा के नाम पर था,

अतः स्वामित्व के अंतरण के अभाव में अथवा ऐसी किसी सूचना के अभाव में बीमा कंपनी से दावे के निस्तारण की अपेक्षा नहीं की जा सकती थी। जिला आयोग का दृष्टीकोण यह था कि बीमा कंपनी परिवादी के क्षतिग्रस्त वाहन हेतु 29, 535 रूपये की नुकसानी हेतु दायित्वाधीन है तथा 10 प्रतिशत की दर से दिनांक 27.07.2000 तक ब्याज, दिनांक 01.08.2000 से भुगतान तिथि तक 5,000 रूपये प्रतिकर तथा 1,000 रूपये वाद व्यय परिवादी को अदा करने के दायित्वाधीन है। राज्य आयोग के समक्ष अपील भागतः स्वीकार की गई तथा क्षतिपूर्ति-राशि हटा दी गई परंतु यह अभिनिर्धारित किया गया कि जब बीमा की विषयवस्तु वाहन बीमित किया गया तो यह तथ्य सारहीन हो जाता है कि उसका स्वामित्व अंतरित हुआ अथवा नहीं।

4. विद्वान अपीलार्थी अधिवक्ता का कथन है कि राष्ट्रीय आयोग द्वारा कई बातों का संज्ञान नहीं लिया गया। प्रथमतः राकेश गुप्ता द्वारा जारी किए गए सूचना पत्र में अधिवक्त अब्दुल गफार द्वारा एक शपथ पत्र दायर किया गया था जिसमें स्पष्ट रूप से उपवर्णित किया गया था कि वाहन दुर्घटना क्षतिपूर्ति राशि श्रीमती रूपा शर्मा को दिए जाने पर उसे कोई आपत्ति नहीं है। यह सूचना पत्र दिनांक 17.11.2000 को दिया गया तथा दिनांक 12.07.2001 को दूसरा सूचना पत्र रामप्रकाश रतुडी की ओर से दिया गया था, जिसमें प्रत्यर्थी ने उपवर्णित किया कि श्री रामप्रकाश रतुडी वाहन के

पंजीकृत स्वामी थे, उक्त वाहन उनके द्वारा श्रीमती रूपा से क्रय किया गया था एवं आवश्यक परिवर्तन परिवहन विभाग, देहरादून द्वारा विभाग के दस्तावेजों में इंद्राज किए गए एवं इस आशय का पृष्ठांकन पंजीयन प्रमाण पत्र पर भी दिनांक 17.02.1995 को किया गया। वाहन संबंधी दस्तावेजों के प्रमाणीकरण के उपरांत बीमा कंपनी द्वारा दिनांक 16.09.1999 से दिनांक 15.09.2000 तक के लिए कवर नोट जारी किया गया था, जैसा कि सूचना पत्र में वर्णित था कि हस्तांतरण दिनांक 17.02.1995 को प्रभाव में आया। विवादित वाहन श्रीमती रूपा शर्मा के नाम पर बीमा-पॉलिसी वर्ष 1999 में जारी करनी थी। जिससे यह स्पष्ट होता है कि प्रत्यर्थी यह प्रमाणित नहीं कर पाया कि उनका बीमा योग्य कोई दावा था।

5. योग्य प्रत्यर्थी अधिवक्ता का कथन है कि बीमा की विषयवस्तु वाहन कोई व्यक्ति नहीं है, अतः जिला आयोग, राज्य आयोग, राष्ट्रीय आयोग के विचार न्यायसंगत थे।

6. ध्यान देने योग्य बात यह है कि यह निर्विवादित है कि बीमा की विषयवस्तु वाहन है जिसके संबंध में न्यायालय ने जी. गोविन्ददास बनाम न्यू एशोरेंस कं.लि. ए.आई.आर. 1999 एस.सी. 1398 को निर्धारित करते समय तृतीय पक्षकार दावे की पृष्ठ भूमि पर जोर दिया गया। जाहिर है स्वतः नुकसानी के दावे पर अधिक सुसंगतता नहीं रहती। आगे यह और कि तथ्यात्मक स्थिति भी अधिक स्पष्ट नहीं है। यहां दो व्यक्तियों द्वारा

दावा किया गया है- एक अब्दुल गफार तथा दूसरा प्रत्यर्थी। रोचक बात यह है कि अब्दुल गफार की ओर से जारी किए गए सूचना पत्र में प्रत्यर्थी ने एक शपथ पत्र यह उपवर्णित करते हुए दिया था कि श्रीमती रूपा शार्मा को बीमाकृत राशि दिए जाने पर उसे कोई आपत्ति नहीं है। राष्ट्रीय आयोग द्वारा उक्त पहलुओं पर विचार नहीं किया गया तथा प्रतिकूलतः निष्कर्ष पर पहूंचा गया। निम्नलिखित निष्कर्ष राष्ट्रीय आयोग द्वारा निकाले गए जो स्पष्ट रूप से सुसंगत तथ्यों की अनदेखी प्रकट करते है:

परिवादी के योग्य अधिवक्ता को सुना गया तथा अभिलेख का अनुशीलन किया गया। मूल तथ्य निर्विवादित है, जैसे कि वाहन का स्वामित्व, बीमित का नाम, दुर्घटना तथा वाहन का बीमा कंपनी द्वारा बीमित होना, परिवादी के नाम पर वाहन का अंतरित होना। हम, दोनो अधिनस्थ आयोगों के निष्कर्ष से सहमत है कि बीमाकृत विषयवस्तु व्यक्ति नहीं होकर वाहन है, जो दुर्घटनाग्रस्त हुआ है एवं जो कि परिवादी के नाम पर अंतरित/पंजीकृत है। अभिलेख पर इस तथ्य का कोई खण्डन नहीं है कि जब वाहन का बीमा किया गया था तब पंजीयन प्रमाण-पत्र बीमा कंपनी द्वारा देखा गया था। इस स्तर पर किसी विसंगति को उठाया जाता है तो परिवादी को उपचारविहिन नहीं किया जा सकता है।

7. यह ध्यान देने योग्य था कि यह तथ्य निर्विवादित है कि जब वाहन का बीमा किया गया तब बीमा कंपनी द्वारा पंजीयन प्रमाण पत्र देखा

गया था। यह तथ्य भी निर्विवादित है कि वाहन परिवादी के नाम पर अंतरित किया जा चुका है। वास्तव में यहां इस तथ्य के संबंध में स्पष्ट विवाद है। अतः स्पष्ट है कि राष्ट्रीय आयोग द्वारा पुनरीक्षण-याचिका सुसंगत तथ्यों पर विचार किए बिना निस्तारित की गई।

8. उक्त परिस्थितियों में राष्ट्रीय आयोग के आदेश को अपास्त किया जाता है तथा मामला विधिनुसार नवीन प्रतिफल हेतु पुनः प्रेषित किया जाता है।

9. अपील उक्त सीमा तक बिना व्यय स्वीकार की जाती है।

अपील अनुमत।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी देवांगिनी औदिच्य (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।